संख्या– 3443 /VI(1)/2013–02(10)/2013

प्रेषक,

सचिन कुर्वे,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पर्यटन निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–1 देहरादून दिनांक 18 नवम्बर, 2013

विषयः–वित्तीय वर्ष 2013–14 में नई योजनाओं के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से टिहरी बैक वाटर ऑफ लेक हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–76/2–6–754/2013–14, दिनांक 14 मई, 2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि टिहरी बैक वाटर ऑफ लेक हेतु ₹ 496.74 लाख पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2013–14 में पुनर्विनियोग के माध्यम से संलग्न बी0एम0–9 में उल्लिखित विवरणानुसार कुल ₹ 100.00 लाख की धनराशि में से ₹ 50.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति **(₹ पचास लाख मात्र)** निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है :–

(i) कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरे शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता/सक्षम अधिकारी से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।

(ii) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

(iii) यहां यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है।

(iv) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(v) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग कर दिनांक 31 मार्च, 2014 से पूर्व उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जायेगा और विभिन्न मदों में वास्तविक व्यय के सापेक्ष हुई बचतों को राजकोष में जमा करा दिया जायेगा।

(vi) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।

(vii) एक योजना हेतु स्वीकृत धनराशि का व्यय दूसरी योजना पर कदापि न किया जाय।

(viii) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन किया जाय।

...2

(ix) व्यय करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 में उल्लिखित प्राविधानों एवं इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(x) कार्यदायी संस्था के निर्धारण में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–26 के लेखाशीर्षक 5452–पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–104–संवर्धन तथा प्रचार–49–पर्यटन विकास की नई योजनाएं–24–वृहत्त निर्माण कार्य के बी0एम0–09 में उल्लिखित मानक मद के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–168/XXVII(2)/2013, दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

4– उक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–26 के अन्तर्गत अलोटमेंट आईडी–S.13112601.66.......द्वारा निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(सचिन कुर्वे)
अपर सचिव।

संख्या–3443/VI(1)/2013–02(10)/2013, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला देहरादून।
4– आयुक्त गढ़वाल मण्डल।
5– जिलाधिकारी, टिहरी।
6– वित्त अनुभाग–2 उत्तराखण्ड शासन।
7– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्रकाश चन्द्र भट्ट)
अनुसचिव।